



ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण
भूखण्ड संख्या-01, सेक्टर-नॉलेजपार्क-4, ग्रेटर नोएडा सिटी
गौतमबुद्ध नगर 201310

पत्रांक:-नियो०/२०१८/पी.ओ.-६सी/ १५५
 दिनांक १३/०२/२०१८

कार्यालय आदेश

प्राधिकरण की 111वीं बोर्ड बैठक के मद संख्या-111/04, दिनांक 01.02.2018 में बिल्डर/विकासकर्ता द्वारा वर्तमान समय तक की देयता का भुगतान न करने की स्थिति में अस्थाई भवन कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में निम्न प्रस्ताव अनुमोदित किया गया है:-

“जिन बिल्डरों/विकासकर्ताओं द्वारा ग्रेटर नोएडा भवन विनियमावली-2010(यथा संशोधित) के तहत सम्पूर्ण परियोजना को पूर्ण कर लिया गया है, किन्तु सिर्फ अतिदेयता (झूँझूज) की वजह से अस्थाई कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाता है उनसे स्थाई कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करते समय दुबारा कम्पलीशन शुल्क न लिया जाये और यदि नियोजन विभाग के अन्य मापदण्डों के पूर्ण न होने की परिस्थिति में अस्थाई कार्यपूर्ति प्राप्त किया जाता है, तो उनसे पूर्ण परियोजना का कम्पलीशन प्रमाण पत्र लेने के समय पुनः कम्पलीशन फीस लिया जायेगा”।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगें।

(बाल कृष्ण त्रिपाठी)
 अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी

प्रतिलिपि:-

1. निजी सचिव, मुख्य कार्यपालक अधिकारी के संज्ञानार्थ।
2. निजी सचिव, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी(टी/जी) को सूचनार्थ।
3. समस्त विभागाध्यक्ष () को सूचनार्थ।
4. उप महाप्रबन्धक(नियो०) को अनुपालनार्थ सूचनार्थ।
5. वरिष्ठ प्रबन्धक(नियो०)/वरिष्ठ कार्यपालक(नियो०) को अनुपालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. गार्ड फाइल।

BalKr.
 अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी